राजस्व आवेदन संख्या 160/2024
उनवान अलु बनाम मेहराण वगैरा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 160/2024
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. अलु पुत्र साला जाति मुसलमान, निवासी समो की ढाणी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। | | 1. मेहराण पुत्र नागोदर<br>2. वाहिद पुत्र नागोदर<br>3. साजन पुत्र नागोदर<br>4. सुमरी पत्नी नागोदर<br>5. माकम पुत्र सुभान<br>6. विलाल पुत्र साला<br>7. सखी पुत्र जुसब<br>8. नागोदर पुत्र जुसब (फोत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 1 से 4 रेकर्ड पर)<br>जातियान मुसलमान, निवासीगण समो की ढाणी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।<br>9. तहसीलदार सेड़वा। |

**उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री दोष मोहम्मद आलीसर**
**विप्रार्थी संख्या 01 से 07 के वकीलः– श्रीराम विश्नोई**

**–ः निर्णय ः–** **दिनांकः–15.04.2025**

प्रार्थी अलु पुत्र साला जाति मुसलमान निवासी समो की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ''प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 तक संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा समो की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर भू0अभिलेख नि0 क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 146 रकबा 13.2979 हैक्टेयर किस्म बा0 सोयम आयी हुई है। प्रार्थी के पिता साला के फौत होने पर हल्का पटवारी चिचड़ासर के द्वारा नामान्तरकरण पारित करवाया गया जिसमें भुलवंश प्रार्थी का नाम अलु पुत्र साला के स्थान पर जलाल पुत्र साला अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी अनपढ व्यक्ति था जिसे अपने जीवनकाल में अपनी जोत में नाम गलत होने की जानकारी नहीं रही प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:32:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO)

को अपना नाम गलत होने की जानकारी नहीं थी। जब प्रार्थी को अपने खेत की खतौनी की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबंदी प्राप्त की तो जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गलत होने की जानकारी हुई। प्रार्थी का नाम अलु पुत्र साला है। लेकिन भुलवश राजस्व अधिकारियो द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम जलाल पुत्र साला अंकित कर दिया है लेकिन प्रार्थी अपना नाम वास्तविक नाम अलु पुत्र साला है तथा आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, तथा राशन कार्ड व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम अलु है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर बैंको आदि में आवेदन करने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे प्रार्थी को अपने हकूको पर भारी कुठाराघात होने की सम्भावना हैं इसलिए प्रार्थी नाम को दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को खेत मौजा समो की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर भू0 अभिलेख नि0 क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 146 रकबा 13.2979 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जलाल पुत्र साला के स्थान पर अलु पुत्र साला करने का आदेश फरमाया जावें।''

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2024/2212 दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/2779 दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन ''प्रार्थी अलु पुत्र साला कौम मुसलमान की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जांच की प्रार्थी अलु पुत्र साला का नाम (अशुद्व) ग्राम समों की ढाणी के खसरा संख्या 146 रकबा 13.2979 हैक्टर भूमि में जलाल पुत्र साला कौम मुसलमान नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अलु पुत्र साला के सगे भाई विलाल पुत्र साला ने बताया कि करीबन 20 वर्ष पूर्व विरासत के नामान्तरकरण के जरिए अलु का नाम भुलवश जलाल दर्ज किया था। प्रार्थी अलु के अन्य साक्ष्य दस्तावेजो की जांच की जिसमें प्रार्थी का नाम अलु पुत्र साला दर्ज है। साक्ष्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड नम्बर 939053732939, राशन [illegible] परिचय पत्र इत्यादि में अलु पुत्र साला दर्ज है। प्रार्थी का खसरा संख्या 146 में [illegible] है। प्रार्थी को गांव में भी अलु

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:32:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

के नाम से जाना पहचाना जाता है। मौके पर उपस्थित मौतबरानों ने बताया कि प्रार्थी अलु के स्थान पर जलाल गलत नाम दर्ज हो गया लेकिन सही नाम अलु पुत्र साला कौम मुसलमान है। मौका फर्द रूबरू मौतबरानों के तैयार की गई एवं हस्ताक्षर अगुष्ठ निशान अंकित करवाये गये।" पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 01 से 07 के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 160/2024 उनवान अलु बनाम मेहराण वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी अलु पुत्र साला जातियान मुसलमान निवासी समों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का सेड़वा के खसरा संख्या 146 रकबा 13.2979 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम, भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जलाल पुत्र साला के स्थान पर अलु पुत्र साला करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम को दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/2779 दिनांक 30.08.2024 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2024 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तरहो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

([illegible], आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा



Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:32:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 2779 दिनांकः— 30-08-2024

प्रेषितः—

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला— बाड़मेर)

विषयः— राजस्व वाद संख्या 160 / 2024 अनवान अलु बनाम मेहराण वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में नाम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 160 / 2024 अनवान अलु बनाम मेहराण वगैरह में मौजा समों की ढाणी के खसरा नंबर 146 रकबा 13.2979 हेक्टर में अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में नाम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू. अभिलेख निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक 16.07.2024 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Count
30/08/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:32:29 IST
Reason: SelfAttested

# मौका फर्द

आज दिनांक 16/07/24 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेडवा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2021-22 दिनांक 01-07-2024 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा के राजस्व आवेदन स. 160/2024 उनवान अलू बनाम मेहराण वगैरा अन्तर्गत 136 RLR Act में नाम दुरुस्ती की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने पटवारी हल्का चिचड़ासर के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थी व अन्य मौतबरान उपस्थित मिले प्रार्थी अलु पुत्र साला कौम मुसलमान की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जाँच की। प्रार्थी अलु पुत्र साला का नाम (अशुद्ध) नाम समो की खातेदारी भूमि में जलाल पुत्र दाणी के खसरा सं 146 रकबा 13.2979 हेक्टेयर भूमि में जलाल पुत्र दाणी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अलु पुत्र साला साला कौम मुसलमान नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। करीबन 20 वर्ष पूर्व के सगे भाई बिलाल पुत्र साला ने बताया कि अलु का नाम भुलवश जलाल दर्ज विरासत के नामान्तरण के जरिए अलु का नाम भुलवश जलाल दर्ज किया था प्रार्थी अलु के अन्य साक्ष्य दस्तावेजो की जांच की जिसमे प्रार्थी का नाम अलु पुत्र साला दर्ज है साक्ष्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड, परिचय पत्र आधार कार्ड न. 9390 5373, 2939, राशन कार्ड व प्रार्थी का खसरा नं. 146 में इत्यादि में अलु पुत्र साला दर्ज है। प्रार्थी को गांव मे भी अलु के नाम से जाना पहचाना जाता है। मौके पर उपस्थित मौतबरानो ने बताया कि प्रार्थी कहणा कारन है। प्रार्थी को गांव मे भी अलु के नाम से जाना पहचाना जाता है मौके पर उपस्थित मौतबरानो ने बताया कि प्रार्थी अलु के स्थान पर जलाल गलत नाम दर्ज हो गया लेकिन सही नाम अलु पुत्र साला कौम मुसलमान है। मौका फर्द मजरू मौतबरानो के तैयार की गई पर हस्ताक्षर/अं. निशान अंकित करवाये गये।

प्रस्तुत कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेडवा

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

साजन

16/07/24
(खेराजराम)
पटवारी (भू.अ.) चिचड़ासर
तहसील सेड़वा (बाड़मेर)

16/07/24
ILR सेडवा

वरियाम खान

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:32:29 IST
Reason: SelfAttested

नि. मालम

नि. बिलाल

अ.नि. अलु/साला

नि. मवी (प्रार्थी की पत्नी)

नि. दुरखान